न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/102/11

अनुवान– राजेन्द्र बनाम चम्पा वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 08.06.2011 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 1425/0.26 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.08.2011 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्राथर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली का व जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया। प्रकरण मे मुताबित जमाबंदी संवत 2065–68 खाता संख्या 373 वाके ग्रम कारोठ के अंकित ईन्द्राज से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। इसलिये अन्य हिस्सेदारान के हिस्से की आराजी के लिये उन्हें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक प्रार्थी के हिस्से तक काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश है कि

प्राथर्ना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0 1425/0.26 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई